न्यायालय सं0–9

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं0–1312 / 2024

राजेन्द्र कुमार वर्मा, आयु लगभग 52 वर्ष, पुत्र स्व0 रामचन्द्र वर्मा, निवासी / ग्राम–पुरी मेहताब राय, पी0एस0 रोहिणी, जिला–अयोध्या, वर्तमान में तैनाती उप0 निरीक्षक, पी.एस–सजेती, जिला–कानपुर नगर, पीएनओ नं0–982540639

–––याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा मुख्य सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन सिविल सविचालय, लखनऊ।
2– संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, लखनऊ।
3– पुलिस उप आयुक्त, उत्तरी लखनऊ।

–––विपक्षीगण

याची की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता–श्री रमेश सिंह।
विपक्षीगण की तरफ से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

द्वाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याची व्दारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 23.05.2022 (संलग्नक सं0–1) जिसके व्दारा याची को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं आदेश दिनॉकित 29.01.2024 (संलग्नक सं0–2) जिसके व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा दाखिल अपील निरस्त की गयी है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति दिनांक–24.02.1995 में आरक्षी के पद पर हुई थी। तद्पश्चात वर्ष 2008 में हे0 का0 के पद पर पदोन्नित प्राप्त हुई एवं वर्ष 2015 में उसे उप निरीक्षक के पद पर पदोन्निति प्रदान की गयी। तदोपरांत याची को पुलिस उपायुक्त, उत्तरी, लखनऊ व्दारा दिनांक 03.03.2022 को एक कारण बताओ नोटिस (संलग्नक सं0–3) निर्गत की गयी जिसमें यह कथन किया गया कि ''जब यह वर्ष–2017 में उप निरीक्षक जनपद–लखनऊ के थाना इन्दिरानगर में नियुक्त थे, तब थाना इन्दिरानगर लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–623 / 17 धारा 363 भादवि की विवेचना में इनके व्दारा प्रथम पर्चा 03.11.2017 से पर्चा 19 दिनांक 22.12.2018 तक किता किया गया विवेचना जरिए अन्तिम रिपोर्ट समाप्त कर दी गयी इस तरह लगभग 13 माह तक विवेचना सम्पादित की गयी जिसमें इनके व्दारा संदिग्ध मोबाइल नम्बर सीडीआर का अवलोकन से पार्टी सं0

ए व बी का वार्ता होना पाये जाने के बावजूद बरामदगी की दिशा में कोई ठोस/सार्थक प्रयास न किये जाने के संबंध में जांचकर/जांचकर्ता अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त महानगर लखनऊ द्वारा दोषी पाया गया है। इनका यह कृत्य अपने कर्तव्यो के प्रति घोर लापरवाही उदासीनता व शिथलता को दर्शाता हैं जिसकी परिनिन्दा की जाती है।'' याची व्दारा उक्त कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिनॉकित 22.03.2022 (संलग्नक सं0–4) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके व्दारा वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह कथन किया गया कि दिनांक 03.11.2017 को कथित आपराधिक मुकदमे की विवेचना प्राप्त करने एवं तदोपरांत विवेचना में विभिन्न तिथियों में किता किए गए पर्चो का उल्लेख करते हुए यह कथन किया गया कि प्रकरण में मेरे द्वारा वांछनीय प्रयास किये गये, तथा सभी प्रकार की कार्यवाहियों को अमल में लाया गया विवेचना के मध्य उच्चाधिकारीगणों द्वारा समीक्षा के दौरान दिय गये मौखिक निर्देशो के क्रम में विवेचना का निस्तारण सुरागरसी व पतारसी के क्रम में किया गया था। जो एक स्वाभाविक एवं पुलिस प्रक्रिया है। मेरे द्वारा गुमशुदा की बरामदगी हेतु सभी प्रकार के वैधानिक प्रयास किये गये जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न ही कोई लापरवाही पूर्ण विवेचना मरे द्वारा सम्पादित की गयी है। मेरे द्वारा समाप्त की गयी उक्त अभियोग की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक इंदिरानगर द्वारा उ0नि0 श्री सुनील कुमार सक्सेना को आवंटित की गयी जिनके द्वारा क्षेत्राधिकारी गाजीपुर कार्यालय से 12.02.2019 को अभियोग उपरोक्त की विवेचना ग्रहण कर ली गयी। अब यह किन कारणों से हुआ यह उन्हीं से पूछा जा सकता है। मेरे द्वारा की गयी विवेचना में उच्चाधिकारीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी, तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया गया है, जो तत्समय प्रचलित था। परन्तु याची के अनुसार उसके व्दारा दिये गये स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये दण्डाधिकारी व्दारा आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 23.05.2022 उसके विरूद्ध पारित कर दिया गया। याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील विपक्षी सं0–2 के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे आदेश दिनॉकित 29.01.2024 व्दारा निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त याची व्दारा यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3– विपक्षीगण व्दारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में सहायक पुलिस आयुक्त, महानगर लखनऊ से प्रारम्भिक जॉच करायी गयी जिन्होंने जॉचोपरान्त अपनी जॉच आख्या दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त प्रारम्भिक जॉच आख्या में जॉच अधिकारी व्दारा याची को दोषी माना गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा याची को बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनॉकित 03.03.2022 निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची व्दारा दिनॉक 22.03.2022 को प्रस्तुत

किया गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 23.05.2022 पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हुयी है। विपक्षीगण व्दारा यह भी कथन किया गया कि याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर सक्षम अधिकारी व्दारा विचार करने के उपरान्त अपील निरस्तीकरण आदेश दिनॉकित 29.01.2024 पारित किया गया है। अतः याची प्रश्नगत आदेशों के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है तथा याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4— याची व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके व्दारा विपक्षीगण व्दारा दाखिल लिखित—कथन का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5— मेरे व्दारा याची के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6— मेरे द्वारा दण्डादेश तथा जांच आख्या का अवलोकन किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उप निरीक्ष श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा तथा राजेश कुमार यादव द्वारा क्रमशः 13 माह एवं 9 माह विवेचना लंबित रखने और मोबाइल नम्बर सीडीआर के समुचित जानकारी होने के उपरांत भी बरामदगी की दशा में कोई ठोस/सार्थक प्रयास नहीं किये जाने के संबंध में दोष परिलक्षित होना प्रतीत होता है। जांच अधिकारी की यह आख्या संभावनाओं पर आधारित है। जांच अधिकारी से अपेक्षित था कि वह इस संदर्भ में दोष सिद्धि का उल्लेख अपनी आख्या में करते। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना 2017 की है, किन्तु इसके संदर्भ में कारण बताओ नोटिस 5 वर्ष के उपरांत दिनांक 03.03.2022 को निर्गत किया गया है। इस असाधाराण विलंब का कोई भी कारण लिखित विवेचन में नहीं आया है। वैधनिक रूप से यह स्पष्ट है कि बिना विलम्ब के कारणों का समुचित उल्लेख किए हुए यदि जांच में या दण्डादेश पारित करने में विलंब होता है तो भी आदेश वैधानिक रूप से स्थिर रहने योग्य नहीं होता। इस संदर्भ में अनुशासनिक कार्यवाही में विलम्ब के सम्बन्ध में मेरे व्दारा माननीय उच्च न्यायालय व्दारा रिट—1 नं0—9033/2024 राकेश कुमार नायक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य व उसके साथ सम्बद्ध रिट—ए नं0 6566/2023 में पारित निर्णय दिनॉकित 12—09—2025 की छाया प्रति का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय व्दारा *Madhya Pradesh Vs. Bani Singh and anr. AIR 1990 SC 1308 o State of Andhra Pradesh Vs. N .Radhakrishnan reported in (1998)4SCC, 154* में दी गयी विधि व्यवस्था के आधार पर उक्त याचिकाओं के

याचीगण को निर्गत आरोप पत्र को निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय व्दारा दिये गये निर्णय दिनॉकित 12–09–2025 के प्रस्तर 18, 19, 20 व 21 महत्वपूर्ण हैं जों निम्नवत् हैः–

> ***18. The aspect of delay in initiating of departmental proceedings against delinquent employee and prejudice caused to such employee has clearly been adjudicated upon by Hon'ble Supreme Court in the case of Bani Singh (Supra) in the following manner:-***
>
> ***"4. The appeal against the order dated 16.12.1987 has been filed on the ground that the Tribunal should not have quashed the proceedings merely on the ground of delay and laches and should have allowed the enquiry to go on to decide the matter on merits. We are unable to agree with this contention of the learned counsel. The irregularities which were the subject matter of the enquiry is said to have taken place between the years 1975-1977. It is not the case of the department that they were not aware of the said irregularities, if any and came to know it only in 1987. According to them even in April, 1977 there was doubt about the involvement of the officer in the said irregularities and the investigations were going on since then. If that is so, it is unreasonable to think that they would have taken more than 12 years to initiate the disciplinary proceedings as stated by the Tribunal. There is no satisfactory explanation for the inordinate delay in issuing the charge memo and we are also of the view that it will be unfair to permit the departmental enquiry to be proceeded with at this stage.***
>
> ***In any case there are no grounds to interfere with the Tribunal's order and accordingly we dismiss this appeal."***
>
> ***19. The same analogy has thereafter been enunciated in the case of N.Radha Krishnan (Supra) in the following manner:-***
>
> ***"19. It is not possible to lay down any pre-determined principles applicable to all cases and in all situations where there is delay in concluding the disciplinary proceedings. Whether on that ground the disciplinary proceedings are to be terminated each case has to be examined on the facts and circumstances in that case the essence of the matter is that the court has to take into consideration all relevant factors and to balance and weight them to determine if it is in the interest of clean and honest administration that the disciplinary proceedings should be allowed to terminate after delay particularly when delay is abnormal and there is no explanation for the delay. The delinquent employee has a right that disciplinary proceedings against him are concluded expeditiously and he is not made to undergo mental agony and also monetary loss when these are unnecessarily prolonged without any fault on his part in delaying the proceedings. In considering whether delay has vitiated the disciplinary proceedings the Court has to consider the nature of charge, its***

complexity and on what account the delay has occurred, if the delay is unexplained prejudice to the delinquent employee is writ large on the face of it. It could also be seen as to how much disciplinary authority is serious in pursuing the charges against its employee. It is the basic principle of administrative justice that an officer entrusted with a particular job has to perform his duties honestly, efficiently and in accordance with the rules. If he deviates from this path he is to suffer a penalty prescribed. Normally, disciplinary proceedings should be allowed to take its course as per relevant rules but then delay defeats justice. Delay causes prejudice to the charged officer unless it can be shown that he is to or when there is proper explanation for the delay in conducting the disciplinary proceedings. Ultimately, the court is to balance these two diverse consideration.

20. Upon applicability of aforesaid judgments in the present case, it is thus evident as enunciated by Hon'ble Supreme Court, in case delay in initiation of departmental proceedings is unexplained, prejudice to the delinquent employee is writ large on the face of record. It is evident that in case of such delay in initiation of departmental proceedings, as in the present case, where nine years have elapsed from the date of incident to issuance of charge sheet, it would be virtually impossible for petitioner to garner documents and evidence in his support.

21. In view of discussion made herein above, it being evident that the only allegation leveled against petitioner of negligence, which does not amount to misconduct as also for unexplained delay in initiation of departmental proceedings, the same are clearly vitiated for being against judgments propounded by Hon'ble Supreme Court as indicated herein above.

7— उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याची को वर्ष 2017 के प्रकरण में 5 वर्ष उपरांत दिनांक 03.03. 2022 को कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही, उदासीनता एव ंशिथिलता बरते जाने के आरोप के संबंध में कारण बताओ नोटिस निर्गत कर दिनांक 23.05.2022 को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा इस विलंब का कोई कारण भी नहीं बताया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के विपरीत है।

8— अपीलीय आदेश में किया गया यह उल्लेख कि उक्त विवेचना 4 वर्ष 8 माह से अधिक समय तक लंबित रही, किन्तु घटना का अनावरण नहीं हुआ और 05 विवेचको द्वारा विवेचना की गयी। इस तथ्य का भी कोई उल्लेख जांच आख्या में और न ही दण्डादेश में किया गया है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही अपरिभाषित एवं अप्रत्याशित विलंब के उपरांत की गयी है। ऐसी स्थिति में याची के विरूद्ध पारित

दण्डादेश व अपीलीय आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। तद्नुसार याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 23.05.2022 (संलग्नक सं0–1) तथा अपीलीय आदेश दिनॉकित 29.01.2024 (संलग्नक सं0–2) निरस्त किये जाते हैं। याची वे समस्त पारिणामिक सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उक्त आदेशों व्दारा रोके गये हों। विपक्षीगण इस निर्णय का अनुपालन सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

दिनॉकः 21 अगस्त, 2026
मीनाक्षी वर्मा, आ0आ0